कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़(छ0ग0)

—:: संशोधित आदेश ::—

क्रमांक **10921**/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 19—07—2020

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40—3/2020—DM—I(A), दिनांक 30 मई, 2020 एवं छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक 313/स.सा.प्र. वि./2020, अटलनगर, रायपुर दिनांक 12—06—2020 द्वारा जारी दिशा—निर्देश के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश 8694/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 13.06.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये **संचालन की अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों** को अब **प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे** तक सप्ताह में **दिन—बुधवार** को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश) संचालन की अनुमति दी जाती है। दिन बुधवार को अस्पताल परिसर स्थित मेडिकल दुकानों को ही संचालन की अनुमति होगी। यहां स्पष्ट किया जाता है कि, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 10918/न्याय0लि0/2020 दिनांक 19.07.2020 के द्वारा आदेशित गतिविधियों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है।

दिनांक 22/07/2020 बुधवार को दुकानें बंद नहीं रहेंगी अगले सप्ताह दिनांक **29/07/2020 से प्रत्येक बुधवार** को दुकानें बंद रहेंगी।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक **10921**—A/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 19.07.2020

प्रतिलिपि :—

01. सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
02. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
03. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
04. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवारायपुर
05. आयुक्त, बिलासपुर सभाग, बिलासपुर
06. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर

—–की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

07. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
09. मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

Scanned with CamScanner

13. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16. सर्व थाना प्रभारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner